

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
—:अधिसूचना:—

संचिका संख्या :-6/अ0-03-02/2018 पटना, दिनांक—

श्रीमती कुमारी रश्मि, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक-14.05.2025 से 26.06.2025 तक कुल 44 (चौवालीस) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित श्रीमती रश्मि के पक्ष में देय उपार्जित अवकाश आदेयता में से उक्त अवकाश को घटाने के उपरान्त (300-44=256) (दो सौ छप्पन) दिनों का उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

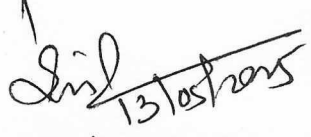
(ज्योति प्रकाश)

सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-6/अ0-03-02/2018 1997

पटना, दिनांक-13/05/25

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना-800015/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर उपायुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना, आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्रीमती कुमारी रश्मि, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


13/05/25

सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।